संख्या:41/2022/957जेएल/22-3-2022-200(2)/2019

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

वरिष्ठ अधीक्षक,
नारी बंदी निकेतन, लखनऊ ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 *लखनऊ: दिनाक: 20 जुलाई, 2022*

विषय- नारी बंदी निकेतन, लखनऊ में निरूद्ध महिला सिद्धदोष बंदियों को गृह अवकाश की वृद्धि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-32/2022/773जेएल/22-3-2022-200(2)/2019, दिनांक 01 जुलाई, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 01 जुलाई, 2022 के क्रम में पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 23171/प्रोवेशन-2/233/गृह अवकाश/2022, दिनांक 15-07-2022 में की गई संस्तुति एवं बंदियों द्वारा किये गये अनुरोध पर संलग्न सूची में उल्लिखित 05 महिला सिद्धदोष बंदियों को शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उनको पूर्व स्वीकृत 15 दिन के गृह अवकाश में अग्रेतर 15 दिन की वृद्धि किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या: 41/2022/957जेएल(1)/22-3-2022-तददिनांक।

प्रतिलिपि सूची सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।
2- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र संख्या 23171/प्रोवेशन-2/233/गृह अवकाश/2022, दिनांक 15-07-2022 के संदर्भ में।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-41/2022/957जेएल/22-3-2022-200(2)/2019

दिनांक 20 जुलाई, 2022 का संलग्नक।

क्र0	महिला बंदी/पति का नाम	जनपद का नाम	बंदी संख्या
1	2	3	4
1	श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री उमाशंकर	पीलीभीत	1384
2	श्रीमती अमृती देवी पत्नी श्री रामस्वरूप	पीलीभीत	1382
3	श्रीमती माया देवी पत्नी नारायण लाल	पीलीभीत	1387
4	श्रीमती हाजरा बेगम पत्नी श्री मो0 शफीक	फिरोजाबाद	2222
5	श्रीमती कृष्णा पत्नी श्री अजय प्रताप	हाथरस	2195

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।